(3) 9-390/01

न्यायालय, जिला दण्डाधिकारी, पटना

(जिला शस्त्र शाखा)

–: आदेश :–

26-03-2013

04.04.2013

विविध शस्त्र अनुज्ञप्ति वाद संख्या–9–390/2012 में आवेदक **श्री सुरेश कुमार सिंह,** पिता–स्व0 भीमसेन सिंह, सा0–अकौना, थाना–पुनपुन, जिला–पटना से प्राप्त एक एन0पी0बोर0 रायफल शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन–पत्र पर वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त करने की कार्रवाई की गई।

आवेदक उपस्थित। आवेदक द्वारा बताया गया कि वे एक सेवानिवृत्त सुबेदार मेजर हैं, जिन्हें सेवानिवृत्ति के पश्चात लेफ्टिनेंट कर्नल DGOS (Army) द्वारा एक .30 B.A. रायफल उपहार स्वरूप इस शर्त्त के साथ दिया गया है कि 12 माह की अवधि के अन्दर अनुज्ञप्ति प्राप्त कर शस्त्र की प्रविष्टि अनुज्ञप्ति पुस्त में करा ली जाय। शर्त्त के अनुसार उक्त 12 माह की अवधि दिनांक–30.04.2013 को समाप्त हो रही है।

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना के ज्ञापांक–1321/गो0, दिनांक–26.10.2012 का अवलोकन किया गया। आवेदक के एन0पी0बोर रायफल अनुज्ञप्ति आवेदन को अधीनस्थ पदाधिकारियों के प्रतिवेदन के आलोक में अग्रसारित किया गया है। सहायक पुलिस अधीक्षक, मसौढ़ी द्वारा अनुशंसित किया गया है। थानाध्यक्ष–पुनपनु द्वारा अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र को अग्रसारित किया गया है।

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन, आवेदक द्वारा उपस्थित होकर बताये गये तथ्यों एवं अभिलेख में संलग्न कागजातों का सूक्ष्मतापूर्वक अवलोकन के पश्चात अधोहस्ताक्षरी को प्रतीत होता है कि आवेदक को शस्त्र अनुज्ञप्ति की आवश्यकता है।

शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 3, शस्त्र नियम 1962 में निहित शक्तियों, वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन एवं Directorate General of Ordnance Services, Master General of Ordnance Branch के पत्र सं0–17308/NSP/RIFLE .30BA/ALOT23520/OS-15A, Dt.-28 May 2012 तथा गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संकल्प सं0–V-11016/16/2009, शस्त्र दिनांक–31.03.2010 में निहित निर्देश के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त **श्री सुरेश कुमार सिंह,** पिता–स्व0 भीमसेन सिंह, सा0–अकौना, थाना–पुनपुन, जिला–पटना को उनके जान–माल की सुरक्षा हेतु सम्पूर्ण बिहार राज्य क्षेत्राधिकार के लिए मान्य एक एन0पी0बोर रायफल की अनुज्ञप्ति की **स्वीकृति** प्रदान की जाती है।

(4) 9-390/012

श्री सिंह को आदेश दिया जाता है कि वे विहित सरकारी शीर्ष में अपेक्षित अनुज्ञप्ति शुल्क कोषागार चालान के माध्यम से जमा कर चालान की मूल प्रति, पासपोर्ट साईज का दो अभिप्रमाणित फोटो एवं एक सादी अनुज्ञप्ति पुस्त अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्रस्तुत कर शस्त्र पंजी में प्रविष्टि कराने के उपरान्त उक्त अनुज्ञप्ति पुस्त प्राप्त कर लेंगें।

लेखापित एवं संशोधित।

04/10/07

जिला दण्डाधिकारी,
पटना।

04/10/07

जिला दण्डाधिकारी,
पटना।